



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट के 07 अभियुक्तगणों को 02-02 वर्ष के कारावास व 28000 रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिंवार में पंजीकृत मु0अ0सं0- 575/2014 धारा- 149,323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी0/एसटी0 एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी0/एसटी0 एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.करिया उर्फ रामऔतार पुत्र गोपाल 2.सरेन्द्र पुत्र बदलू प्रसाद 3. परशुराम पुत्र गोपाल 4.गोरेलाल पुत्र रामआसरे 5.मिथुन उर्फ महेन्द्र प्रताप पुत्र रामआसरे 6.देवीदीन पुत्र रामआसरे 7.बलराम पुत्र रामआसरे निवासीगण लोदीपुर थाना बिंवार जनपद हमीरपुर को 02-02 वर्ष के कारावास व 28000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी विजय सिंह



विवेचक-  
सीओ प्रदीप कुमार  
वर्मा



पैरोकार-थाना बिंवार  
का0 श्रीकान्त